रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 297] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 5, 2006/आषाढ़ 14, 1928
No. 297] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 5, 2006/ASADHA 14, 1928

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली 5 जुलाई, 2006

सा.का.नि. 402(अ).—केन्द्रीय सरकार सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादन (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 (2003 का 34) की धारा 7 की उपधारा (1), धारा 8 की उपधारा (2), धारा 10 और धारा 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (पैक करना और लेबल लगाना) नियम, 2006 है।

(2) ये 1 फरवरी, 2007 को प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं**—इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

(क) "अधिनियम" से सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 अभिप्रेत है;

(ख) "पैकेज" से सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों को पैक करने के लिए प्रयुक्त बाक्स, पाउच, शंक्वाकार, बेलनाकार की तरह का अथवा अन्य प्रकार का पैक अभिप्रेत है;

(ग) "प्रमुख प्रदर्शन क्षेत्र" से अभिप्रेत है,

(i) बाक्स की तरह के पैकेजों के लिए बाक्स के दो समान आकार के बड़े बाहरी क्षेत्र जिन्हें विक्रय अथवा उपयोग की सामान्य अथवा रूढ़िजन्य दशाओं के अधीन प्रदर्शित किया जा सकेगा अथवा देखा जा सकेगा;

(ii) पाउच की तरह के पैकेजों के लिए पैक का समस्त बाहरी क्षेत्र जिसे विक्रय अथवा उपयोग की सामान्य दशाओं के अधीन प्रदर्शित किया जा सकेगा अथवा देखा जा सकेगा;

(iii) शंक्वाकार अथवा बेलनाकार की तरह के पैकेजों के लिए पैक का संपूर्ण किनारे वाला क्षेत्र जिसे विक्रय अथवा उपयोग की सामान्य दशाओं के अधीन प्रदर्शित किया जा सकेगा अथवा देखा जा सकेगा;

(iv) पैकेज के किसी भी अन्य रूप अथवा प्रकार के लिए पैक का समस्त बाहरी क्षेत्र जिसे विक्रय अथवा उपयोग की सामान्य अथवा रूढ़िजन्य दशाओं के अधीन प्रदर्शित किया जा सकेगा अथवा देखा जा सकेगा;

(घ) ''विनिर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी'' से इन नियमों की अनुसूची में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर विनिर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी अभिप्रेत है।

3. **पैक करने और लेबल लगाने की रीति.**— (1) सिगरेट या किसी अन्य तंबाकू उत्पाद के विनिर्माण, पूर्ति, आयात या वितरण में प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से लगा हुआ प्रत्येक व्यक्ति यह सुनिश्चित करेगा कि :-

(क) सिगरेट या किसी अन्य तंबाकू उत्पाद के प्रत्येक पैकेज में इन नियमों की अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट सटीक विशेष स्वास्थ्य चेतावनी होगी;

(ख) विशेष स्वास्थ्य चेतावनी पैक के प्रमुख प्रदर्शन क्षेत्र के कम से कम पचास प्रतिशत क्षेत्र को घेरेगी और इसे पैकेज के ऊपरी किनारे के समानान्तर रखा जाएगा और उसी दिशा में होगी जिस दिशा में प्रमुख प्रदर्शन क्षेत्र पर सूचना होती है:

परंतु शंक्वाकार के पैक के लिए पैक के चौड़े किनारे को पैक के ऊपरी किनारे के रूप में समझा जाएगा:

परंतु यह और कि बाक्स और पाउच प्रकार के पैकों के लिए विनिर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी पैक के दोनों ओर वृहद पट्टी पर दिखाई देगी;

(ग) जब पैकेज को सील किया जाता है या खोला जाता है तब विनिर्दिष्ट चेतावनी के कोई भी तत्व अलग नहीं किए जाते हैं, ढ़के नहीं जाते हैं या छिपाए नहीं जाते हैं;

(घ) ऐसा कोई भी संदेश जो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः किसी विनिर्दिष्ट तंबाकू ब्रांड या तंबाकू उपयोग को साधारणतया संवर्धित करता है, तंबाकू उत्पाद पैकेज पर उत्कीर्णित किया जाएगा;

(ङ) ऐसे किसी उत्पाद का तब तक विक्रय नहीं किया जाएगा जब तक उस पैकेज पर विनिर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी न हो :

परंतु विनिर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी ऐसे प्रत्येक खुदरा पैक पर मुद्रित की जाएगी जिसमें तंबाकू उत्पाद का रखा जाना सामान्यतः उपभोक्ता के उपयोग या खुदरा विक्रय तथा किसी अन्य बाह्य पैकेज जैसे कार्टन या बाक्स पर आशमित है;

(च) विनिर्दिष्ट चेतावनियां पैक पर उपयोग की जाने वाली भाषा/भाषाओं में उत्कीर्णित की जाएंगी :

परंतु कि पैक पर दो से अनधिक भाषाओं का प्रयोग किया जाएगा जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि विनिर्दिष्ट चेतावनी पठनीय और सुस्पष्ट हो;

(छ) तंबाकू उत्पाद के किसी भी पैकेट अथवा लेबल पर ऐसी कोई सूचना नहीं होगी जो असत्य, भ्रामक, या कपटपूर्ण हो या जिससे तंबाकू उत्पादों या इसके उत्सर्जन की विशेषताओं, स्वास्थ्य प्रभाव अथवा स्वास्थ्य या अन्य जोखिमों के बारे में गलत प्रभाव पड़ने की संभावना या आशमित हो। इस प्रतिषेध में शब्दों अथवा वर्णनात्मक शब्दों का प्रयोग करना सम्मिलित है चाहे वे ब्रांड के नाम के भाग हों अथवा नहीं, यह इसके प्रयोग तक ही सीमित नहीं है। ये शब्द अथवा वर्णनात्मक शब्द इस प्रकार हैं "हलका", "अतिहल्का", "मध्यम", "अति मध्यम", "कम टार", "पतला", "सुरक्षित" अथवा वैसे ही अन्य शब्द अथवा वर्णनात्मक शब्द; ऐसी कोई भी ग्राफिक्स, जिसकी ऐसे शब्दों अथवा वर्णनात्मक शब्दों के साथ संबद्ध होने की संभावना अथवा आशमित हो; तथा ऐसा कोई भी उत्पाद पैकेट के डिजाइन संबंधी विशेषताएं, जिनकी ऐसे वर्णनात्मक शब्दों के साथ संबद्ध होने की संभावना अथवा आशमित हो।

4. **विनिर्दिष्ट स्वास्थ्य संबंधी चेतावनियों को अस्पष्ट लिखने, छिपाने, परिवर्तित करने अथवा पूरी न लिखने के संबंध में प्रतिषेध.**—कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई भी उत्पाद, युक्ति या अन्य वस्तु का विक्रय या प्रदाय नहीं करेगा जिसे तंबाकू उत्पाद के पैकेट पर विनिर्दिष्ट स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी को ढकने, अस्पष्ट लिखने, छिपाने, परिवर्तित करने या अन्यथा चेतावनी पूरी नहीं लिखने हेतु प्रयोग किए जाने के लिए आशमित हो या प्रयोग किया जा सकता हो। इसमें उत्पाद के पैकेट अथवा पैकेट के भागों; या उसकी बाहरी वस्तुओं पर ऐसे किसी भी खोल पर प्रतिषेध शामिल है जिससे निर्धारित संदेश अस्पष्ट होता हो।

5. **विनिर्दिष्ट स्वास्थ्य संबंधी चेतावनियों का चक्रानुक्रमण.**—तंबाकू उत्पादों पर विनिर्दिष्ट स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी का प्रत्येक 12 मासों या केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर यथाविनिश्चित अनुसार चक्रानुक्रमण किया जाएगा।

अनुसूची

(नियम 3 देखें)

1. **विनिर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी के संघटक.**—विनिर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी के संघटक में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :

1. **कपाल और हड्डियों के चिन्ह.**—प्रत्येक विनिर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी में अनिवार्य रूप से कपाल और हड्डियों के चिह्न का चित्र सफेद रेखांकन सहित सफेद पृष्ठभूमि में (शत प्रतिशत काला) होगा। यह चिह्न चेतावनी के शीर्ष पर बायीं ओर के किनारे में प्रमुख रूप से दिखाया जाएगा।

2. **स्वास्थ्य चेतावनी.**—चेतावनी "धूम्रपान जानलेवा है" (तम्बाकू उत्पादों के धूम्रपान के रूप में) और "तम्बाकू जानलेवा है" (तम्बाकू उत्पादों के धुआं रहित/चबाने तथा अन्य रूप में) लाल पृष्ठभूमि में सफेद फांट रंग (100% मैजेंटा + 100% पीला हो) में दर्शाया जाएगा।

3. **तम्बाकू उपयोग के दुष्प्रभावों का चित्रात्मक प्रदर्शन.**–तम्बाकू के उपयोग से स्वास्थ्य पर दुष्प्रभावों को चित्रात्मक रूप में कपाल और हड्डियों के चिह्नों के नीचे चित्रात्मक रूप में दिखाया जाएगा और वे बिल्कुल उसी रंग में होंगे जैसा कि इन नियमों के साथ लगी सीडी में सॉफ्ट प्रति में प्रदान किया गया है।

4. **स्वास्थ्य सन्देश.**–प्रत्येक विनिर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी में सफेद पृष्ठभूमि पर काले फोंट रंग में स्वास्थ्य सन्देश सम्मिलित होगा। स्वास्थ्य सन्देश को सफेद पृष्ठभूमि पर काले फोंट में आसानी से पढ़ी जा सकने वाली भाषा में मुद्रित किया जाना चाहिए और फोंट टाइप/फोंट आकार बिल्कुल इस दस्तावेज के द्वारा प्रदान की गई सॉफ्ट प्रति के अनुसार होगा।

2. **विनिर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनियां इस प्रकार हैं**–

1. **तम्बाकू पैकों के धूम्रपान के रूप में**–

(क) तम्बाकू से प्रतिदिन 2500 भारतीयों की मृत्यु होती है।

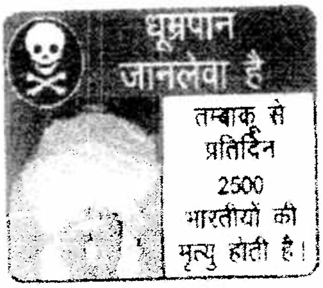

(ख) आपके धुएँ से शिशुओं की मृत्यु होती है।

2. **चबाने वाले/धूंआरहित तंबाकू उत्पादों के पैकेजों के लिए**

(क) तंबाकू दर्दनाक मौत का कारण है।

(ख) तंबाकू से मुंह का कैंसर होता है।

टिप्पण :—इन नियमों के साथ एक सीडी लगी है जिसमें इन स्वास्थ्य चेतावनियों की संयुक्त फोटोचित्रण विशेषज्ञ समूह (जे पी इ जी) फार्मेट में एक सॉफ्ट प्रति अन्तर्विष्ट है जिसका प्रयोग तंबाकू उत्पाद पैकेजों में मुद्रण के लिए किया जाता है।

3. **विनिर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनियों का न्यूनतम आकार :**

(1) यह सुनिश्चित करने के लिए कि चेतावनी सुपठनीय और सुस्पष्ट है तंबाकू पैक के प्रत्येक पैनल पर विनिर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी 3.5 से. मी 4 से. मी. के न्यूनतम आकार में होगी।

(2) यह सुनिश्चित करने के लिए कि विनिर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी पैक के मुख्य प्रदर्शन भाग के पचास प्रतिशत भाग को घेरती है, विनिर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी के समस्त घटकों का आकार पैक के आकार के बढ़ने पर उसी अनुपात में बढ़ेगा।

4. **भाषा.**—प्रत्येक स्वास्थ्य चेतावनी और स्वास्थ्य संदेश अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा में विनिर्दिष्ट किया गया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्वास्थ्य चेतावनी और स्वास्थ्य संदेश के लिए चयनित भाषा/भाषाएं निर्माता द्वारा पैक पर प्रयुक्त भाषा/भाषाओं के अनुरूप हैं, सीडी में उपलब्ध कराए गए संयोजनों में से उचित भाषा संयोजन का चयन किया जाना चाहिए। जहां पैक पर एक से अधिक भाषा का प्रयोग होता है, विनिर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी और स्वास्थ्य संदेश प्रत्येक भाषा में पृथकतः दी जाएगी। परन्तु यह कि पैक पर दो से अधिक भाषाओं का प्रयोग नहीं किया जाएगा।

5. **मुद्रण.**—यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इस अनुसूची के पैरा 3 के उप पैरा (2) के अध्यधीन मुद्रण करते समय विनिर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी के समस्त घटकों के रंग, प्रगाढ़ता, स्पष्टता और आकार में किसी भी प्रकार का फेरबदल नहीं किया जाए।

[फा. सं. पी-16011/07/2005-पी एच]

भवानी त्यागराजन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th July, 2006

G.S.R. 402 (E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 7, Sub-section (2) of Section 8, Section 10 and Section 31 of the Cigarettes and other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Act, 2003 (34 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Cigarettes and other Tobacco Products (Packaging and Labelling) Rules, 2006.

(2) They shall come into force on the 11 day of February, 2007.

2. **Definitions.**—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Cigarettes and other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Act, 2003;

(b) "Package" means box, pouch, conical, cylindrical or any other type of pack used for packing cigarette and other tobacco products;

(c) "principal display area" means—

(i) for box type packages, two equal sized largest surface area(s) of the box that may be displayed or visible under normal or customary conditions of sale or use;

(ii) for pouch type packages, the entire surface area of the pack that may be displayed or visible under normal conditions of sale or use;

(iii) for conical or cylindrical type of packages, the entire curving area of the pack that may be displayed or visible under normal or customary conditions of sale or use;

(iv) for any other form or type of package, the entire surface area of the pack that may be displayed or visible under normal or customary conditions of sale or use;

(d) "specified health warning" means, such health warnings as specified by the Central Government from time to time, in the schedule to these rules.

3. Manner of packing and labelling.—(1) Every person engaged directly or indirectly in the production, supply, import or distribution of cigarette or any other tobacco products shall ensure that,—

(a) every package of cigarette or any other tobacco product shall have the specified health warning exactly as specified in the schedule to these rules;

(b) the specified health warnings shall occupy at least fifty per cent of the principal display area/s of the pack and shall be positioned parallel to the top edge of the package and in the same direction as the information on the principal display area/s:

Provided that for conical packs, the widest end of the pack shall be considered as the top edge of the pack:

Provided further that for box and pouch type of packs, the specified health warning shall appear on both sides of the pack, on the largest panels;

(c) none of the elements of the specified warning are severed, covered or hidden in any manner when the package is sealed or opened;

(d) no messages that directly or indirectly promote a specific tobacco brand or tobacco usage in general are inscribed on the tobacco product package;

(e) no product shall be sold unless the package contains the specified health warning:

Provided that the specified health warning shall be printed on every retail pack in which the tobacco product is normally intended for consumer use or retail sale, as well as any other external packaging, such as cartons or boxes;

(f) the specified warnings shall be inscribed in the language/s used on the pack :

Provided that not more than two languages shall be used on the pack, so as to ensure that the specified warning is legible and prominent;

(g) no tobacco product package or label shall contain any information that is false, misleading, or deceptive, or that is likely or intended to create an erroneous impression about the characteristics, health effects, or health or other hazards of the tobacco product or its emissions. This prohibition includes, but is not limited to, the use of words or descriptors, whether or not part of the brand name, such as "light", "ultra light", "mild", "ultra mild", "low tar", "slim", "safer" or similar words or descriptors; any graphics associated with, or likely or intended to be associated with, such words or descriptors; and any product package design characteristics, associated with, or likely or intended to be associated with, such descriptors.

4. Prohibition on obscuring, masking, altering or detracting from the Specified Health Warnings—No person shall sell or supply any product, device, or other thing that is intended to be used, or that can be used, to cover, obscure, mask, alter, or otherwise detract from the display of specified health warning on the tobacco product package. This includes prohibition to design the product package or parts of the package, or accessories thereto, with any cover that may obscure the prescribed messages.

5. Rotation of Specified Health Warnings—The specified health warning on tobacco packs shall be rotated every 12 months or as may be decided by the Central Government from time to time.

2012 GI/06—2

SCHEDULE

(*see* **rule 3**)

1. **Components of specified health warning.**—The components for the specified health warning shall include.

(1) **Skull and Bones Sign.**—Every specified health warning shall mandatorily include a pictorial depiction of skull and bones sign, in white on a black background (100% black) with white outlines. This sign shall be prominently placed on the top left hand corner of the warning.

(2) **Health Warning.**—The warning "Smoking Kills" (on smoking forms of tobacco products) and "Tobacco Kills" (on smokeless/chewing and other forms of tobacco products) shall appear in white font colour on a red background (consisting of 100% magenta + 100% yellow).

(3) **Pictorial Representation of ill effects of tobacco use.**—Pictorial depiction of the ill effects of tobacco use on health, shall be placed below the skull and bones sign, and should appear in colour exactly as in the soft copy provided in the CD accompanying these rules.

(4) **Health Message.**—Every specified health warning shall include the health message in black font colour on a white background. The health message should be printed in easy to read black font on a white background and the font type/font size shall be, exactly as per the soft copy provided along with these rules.

2. **The specified health warnings are**

(1) **For smoking forms of tobacco packs**

(a) Tobacco kills 2500 Indians everyday

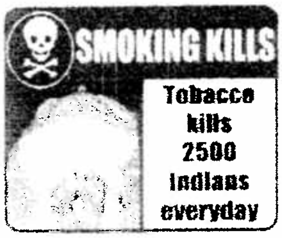

(b) Your smoking kills babies

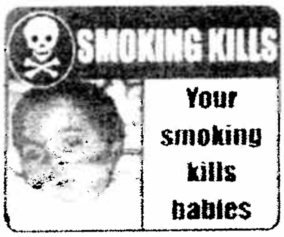

(2) **For chewing/smokeless forms of tobacco packages:**

(a) Tobacco causes slow and painful death

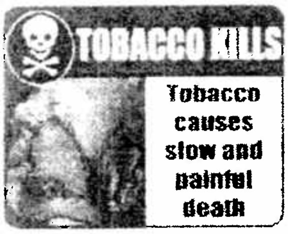

(b) Tobacco causes mouth cancer

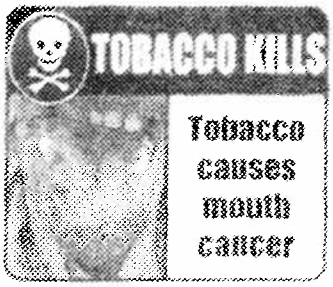

Note: These rules are accompanied by a CD that contains a soft copy of these health warnings, in Joint Photographic Experts Group (JPEG) format, for inclusion in printing of tobacco product packages.

3. **Minimum size of the specified health warning.**—(1) The minimum size of the specified health warning on each panel of the tobacco pack shall be 3.5 cm x 4 cm to ensure that the warning is legible and prominent.

(2) The size of all components of the specified health warning shall be increased proportionally according to increase of the package size to ensure that the specified health warning occupies fifty per cent of the principal **display area/s of the pack.**

4. **Language.**—Each health warning and health message has been specified in English and regional languages. Appropriate language combination should be selected from the combination provided in the CD to ensure that the language/s selected for health warning and health message are in conformity with the language/s used on the pack by the manufacturer. Where more than one language is used on the pack, the specified health warning and language/s. Provided that not more than two languages shall be used on the pack.

5. **Printing.**—It must be ensured that the colour, intensity, clarity and size of all the components of the specified health warning are not tampered with while printing subject to sub-paragraph (2) of paragraph 3 of this Schedule.

[F. No. P-16011/07/2005-PH]

BHAVANI THYAGARAJAN, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054